न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 189/2016

1. जसवन्त सिंह
2. बलदेव सिंह

} पिसरान बख्शीश सिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी 1133 अग्रसेन नगर, श्रीगंगानगर।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1. बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री हरी सिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. सतीश कुमार
3. सुनील कुमार
4. प्रेम कुमार

} पिसरान फूलचन्द जाति अरोड़ा निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

5. देसराज पुत्र श्री कालूराम जाति अरोड़ा निवासी 10 एफ मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 92ए आर.टी.ए. बाबत घोषणा व खाता तकसीम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री पी.पी. मक्कड़ अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री हरविन्द्रसिंह अधिवक्ता — प्रतिवादीगण

–:: निर्णय ::– **दिनांक :– 06.06.2017**

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 92ए आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के अलावा इस आराजी में किशोर चन्द पुत्र श्री कन्हैयालाल के नाम से 0.021 हैक्टर, महताब पुत्र कन्हैया लाल की 0.021 हैक्टर, अमर राज, सोमराज पिसरान श्री जवाहर लाल की 0.262 हैक्टर, नन्दलाल पुत्र श्री मुन्शीराम, गुरदिता पिसरान सोहन लाल की 0.048 हैक्टर आराजी राजस्व रिकार्ड में मुरब्बा नम्बर 43 वाके चक 10 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर में दर्ज है, परन्तु इन खातेदारों की मृत्यु हो चुकी है और इनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है। धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार इन खातेदारों की आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 में स्वतः ही निहित हो गई है और मौखिक रूप से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का निम्न रूप से विभाजन के अनुसार मौके पर आराजी का कब्जा है तथा विभाजन के अनुसार ही वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 अपनी आराजी पर शांति पूर्वक काबिज है तथा विभाजन के अनुसार ही अपनी आराजी का लगान राज्य सरकार को अदा कर रहे है तथा पानी की पर्ची भी विभाजन के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 का कब्जा है।

वादीगण संख्या 1 ता 2 द्वारा उक्त वर्णित आराजी में से जरिये बैयनामा दिनांक 08.03.1968 को 6 बीघा आराजी खरीद की तथा दूसरा बैयनामा 27.09.1978 को 3 बिस्वा आराजी खरीद की तथा एक तबादलानामा दिनांक 15.12.1978 को वादीगण के साथ हुआ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

लगातार 2

इस आराजी को सम्मिलित करते हुए वादीगण के पास वर्तमान समय में चक 10 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की आराजी विभाजन के अनुसार मौके पर मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 4 की 0.215 हैक्टर नहरी, 0.025 हैक्टर खाला, किला नम्बर 5 की 0.228 हैक्टर, 0.25 हैक्टर खाला, किला नम्बर 6 की 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 15 की 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 16 की 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 25 की .253 हैक्टर नहरी, किला नम्बर 21 की 0.012 हैक्टर, किला नम्बर 22 की 0.013 हैक्टर, किला नम्बर 23 की 0.012 हैक्टर, किला नम्बर 24 की 0.013 हैक्टर कुल 1.555 हैक्टर नहरी कृषि भूमि मय खाला है।

प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा काश्त में विभाजन के अनुसार वाके 10 एफ़ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 3 की 0.228 हैक्टर नहरी, खाला 0.025 हैक्टर व किला नम्बर 4 की 0.013 हैक्टर नहरी, किला नम्बर 7 की 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 8 की 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 14 की 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 17 की 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 24 की 0.240 हैक्टर, किला नम्बर 13 की 0.126 हैक्टर नहरी मय खाला कुल 1.644 हैक्टर पर काबिज है और इसी अनुसार वह लगान आदि अदा कर रहा है और पानी की पर्ची भी इस आराजी की उसी के पास है।

चक 10 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1 की 0.228 हैक्टर नहरी, किला नम्बर 2 की 0.228 हैक्टर नहरी, खाला 0.025 हैक्टर, किला नम्बर 9 की 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 10 की 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 11 की 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 12 की 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 13 की 0.127 हैक्टर, किला नम्बर 18 की 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 19 की 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 20 की 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 21 की 0.241 हैक्टर, किला नम्बर 22 की 0.240 हैक्टर, किला नम्बर 23 की 0.241 हैक्टर कुल आराजी 3.126 हैक्टर नहरी मय खाला संयुक्त रूप से प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के कब्जा काश्त में 1.534 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 5 के कब्जा काश्त में 1.537 हैक्टर कुल आराजी मय खाला 3.071 हैक्टर संयुक्त रूप से काबिज है और इसी अनुसार लगान आदि व शांति पूर्वक कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वादीगण ने दिनांक 17.09.2016 को प्रतिवादीगण को मौखिक बंटवारे के अनुसार विभाजन जो किया हुआ है राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने हेतु कहा परन्तु वह कतई इन्कार हो गये यही बिनाय दावा वादीगण को हासिल है। अतः वाद वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे :–

(क) कि वादीगण के हक में खिलाफ प्रतिवादीगण संख्या 1 व 5 के खिलाफ इस आशय की विभाजन की डिक्री वादीगण संख्या 1 ता 2 द्वारा उक्त वर्णित आराजी में से जरिये बैयनामा दिनांक 08.03.1968 को 6 बीघा आराजी खरीद की तथा दूसरा बैयनामा 27.09.1978 को 3 बिस्वा आराजी खरीद की तथा एक तबादलानामा दिनांक 15.12.1978 को वादीगण के साथ हुआ। इस आराजी को सम्मिलित करते हुए वादीगण के पास वर्तमान समय में चक 10 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की आराजी विभाजन के अनुसार मौके पर मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 4 की 0.215 हैक्टर नहरी, 0.025 हैक्टर खाला, किला नम्बर 5 की 0.228 हैक्टर, 0.25 हैक्टर खाला, किला नम्बर 6 की 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 15 की 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 16 की 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 25 की .253 हैक्टर नहरी, किला नम्बर 21 की 0.012 हैक्टर, किला नम्बर 22 की 0.013 हैक्टर, किला नम्बर 23 की 0.012 हैक्टर, किला नम्बर 24 की 0.013 हैक्टर कुल 1.555 हैक्टर नहरी कृषि भूमि मय खाला राजस्व रिकार्ड में बतौर अमल दरामद किया जावे।

लगातार 3

सहायक अधिकारी (राजस्व)

(ख) कि प्रतिवादी संख्या 1 के हक में विभाजन के अनुसार निम्न डिक्री उसके हक में प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा काश्त में विभाजन के अनुसार वाके 10 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 3 की 0.228 हैक्टर नहरी, खाला 0.025 हैक्टर व किला नम्बर 4 की 0.013 हैक्टर नहरी, किला नम्बर 7 की 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 8 की 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 14 की 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 17 की 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 24 की 0.240 हैक्टर, किला नम्बर 13 की 0.126 हैक्टर नहरी मय खाला कुल 1.644 हैक्टर पर काबिज है और इसी अनुसार वह लगान आदि अदा कर रहा है और पानी की पर्ची भी इस आराजी की उसी के पास है और इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(ग) कि यह कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के कब्जा काश्त में 1.534 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 5 के कब्जा काश्त में 1.537 हैक्टर कुल आराजी मय खाला 3.071 हैक्टर संयुक्त रूप से निम्न प्रकार से काबिज है। **चक 10 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर** के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1 की 0.228 हैक्टर नहरी, किला नम्बर 2 की 0.228 हैक्टर नहरी, खाला 0.025 हैक्टर, किला नम्बर 9 की 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 10 की 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 11 की 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 12 की 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 13 की 0.127 हैक्टर, किला नम्बर 18 की 0. 253 हैक्टर, किला नम्बर 19 की 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 20 की 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 21 की 0.241 हैक्टर, किला नम्बर 22 की 0.240 हैक्टर, किला नम्बर 23 की 0.241 हैक्टर कुल आराजी 3.126 हैक्टर नहरी मय खाला संयुक्त रूप से काबिज है और इसी अनुसार लगान आदि व शांति पूर्वक कब्जा काश्त में चली आ रही है जो विभाजन की डिक्री पारित की जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(घ) अन्य अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे अता फरमावें।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा वादी के वाद पत्र पर कोई एतराज नहीं करते हुए नो आब्जेक्शन किया। पैरोकार राज द्वारा प्रस्तुत जबाब दावा में राज्य हितों को मध्यनजर रखते हुए निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

प्रकरण में वादी एवम् प्रतिवादी के मध्य कोई प्रतिवादी नही होनें के कारण तनकियात नहीं बनाई गई वादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये गये जिस पर प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा जिरह नहीं करनी चाही।

उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस वादीगण के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा वादपत्र के कथनों को दौहराते हुए वाद वादी डिक्री किया जानें हेतु निवेदन किया गया।

विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि वाद में वर्णित व्यक्ति किशोरचन्द, महताबराय पिसरान कन्हैयालाल, अमरराज सोमराज पिसरान जवाहरलाल, नन्दलाल मुन्शीलाल, गुरदिता पिसरान सोहनलाल की भूमि मुताबिक राजस्व अभिलेख उनके नाम दर्ज है, जिनकी मृत्यु तथा वारिसान के सन्दर्भ मे वादी द्वारा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किये गये है तथा वादी के कथनानुसार इन खातेदारान का वादी के साथ क्या सम्बंध थे व किस रूप में मृतकों के उत्तराधिकारी है, के सम्बंध में कोई भी साक्ष्य पेश करनें में विफल रहे है। अतः वाद वादी पोषणीय नहीं होनें के कारण वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.06.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर